

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

विधान सभा के प्रथम सत्र में आपको सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। यह बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि हाल ही में राज्य की चौदहवीं विधान सभा के चुनाव निर्विघ्न, स्वतंत्र एवं शांतिपूर्ण सम्पन्न हुए। मैं राजस्थान की जनता को इस चुनाव में अब तक के सर्वाधिक मतदान एवं प्रचण्ड बहुमत के साथ जनादेश देने के लिए हार्दिक बधाई और धन्यवाद देती हूँ।

1. मैं नवनिर्वाचित विधायकों को बधाई देती हूँ तथा आशा करती हूँ कि आप राजस्थान के विकास से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से रख कर, प्रदेश के सर्वांगीण एवं चहुँमुखी विकास में अपना सहयोग देंगे। मैं माननीय सदस्यों का अभिनन्दन करती हूँ और माननीय सदस्यों एवं इस सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को नववर्ष की भी हार्दिक-शुभकामनाएं देती हूँ।
2. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की 117वीं जयन्ती पर मैं आज उनका स्मरण करते हुए इस सदन के माध्यम से सदन और प्रदेशवासियों की ओर से उनके प्रति भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। देश की आजादी के लिए उनका त्याग पूर्ण संघर्ष हमेशा याद रहेगा। राष्ट्र के प्रति उनका अतुलनीय योगदान आज भी प्रेरणा का संचार करता है।

‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा’ के उद्घोष के साथ राष्ट्रप्रेम-स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाले नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के आदर्श और सिद्धान्त आज भी हम भारतवासियों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

माननीय सदस्यगण !

3. राजस्थान में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में गहरी निष्ठा एवं आस्था की समृद्ध परम्परा रही है। हमारे प्रदेशवासी समय-समय पर ऐतिहासिक निर्णय कर लोकतंत्र की परिपक्वता का सन्देश देते रहे हैं। राजस्थान की स्वाभिमानी जनता ने पुरजोर ढंग से सुराज के संकल्प के साथ वर्तमान सरकार को एक बार और विश्वास के साथ शासन की बागडोर सौंपी है। मैं जनता द्वारा लिए गए इस विवेकपूर्ण निर्णय की प्रशंसा करती हूँ तथा धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।
4. सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से सत्ता में हुआ परिवर्तन राजस्थान को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। राजस्थान खुशहाल और समृद्धशाली बनेगा और प्रत्येक व्यक्ति को न्याय, रोजगार एवं भयमुक्त वातावरण मिलेगा।
5. हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व में विकास की प्रतिस्पर्द्धा की होड मची है और इक्कीसवीं सदी में राजस्थान भी अपने आपको देश के विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार

करे, ऐसी मेरी कामना है। विगत पांच वर्षों में राजस्थान के माथे पर पिछड़ेपन व बीमारू होने का कलंक लगा तथा लम्बी चौड़ी वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना की घोषणा के उपरांत भी, जो उपलब्धि प्रदेश को मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिल पायी। जिससे राजस्थान पिछड़ कर बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया। यह हमारे लिए चिन्ता और चुनौती का विषय है।

माननीय सदस्यगण !

6. राजस्थान विकास की दृष्टि से स्वर्णयुग में प्रवेश करे, इसके लिए हम न केवल वार्षिक व पंचवर्षीय योजना बनाएंगे बल्कि “हमारा लक्ष्य 2020” में नया राजस्थान कैसा हो, की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। हमने अपने दृष्टि पत्र में विकास की पांच मुख्य प्राथमिकताएं तय की हैं, जिसमें निवेश प्रोत्साहन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, आर्थिक ढाँचे में सुधार तथा शिक्षा व कौशल विकास पर विशेष महत्व दिया है। विशेष रूप से निःशक्त जन, महिलाओं व बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए नयी सोच के साथ प्रभावी उपाय भी सम्मिलित किए गए हैं।
7. राज्य सरकार ने सत्ता सम्भालते ही मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में सुराज संकल्प पत्र को नीति पत्र के रूप में स्वीकार कर इसके आधार पर नीतियां और कार्यक्रम

बनाने का निर्णय लिया है। खुशहाल राजस्थान की कल्पना बिना सुराज के पूरी नहीं हो सकती, इसलिए सरकार ने समयबद्धता के साथ विभिन्न क्षेत्रों की जन कल्याणकारी योजनाओं की साठ दिवसीय रूपरेखा निर्धारित की है। 11 सूत्री कार्यक्रम के आधार पर प्रत्येक विभाग ने अपनी साठ दिवसीय कार्य योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य प्रारम्भ कर दिया है। हम एकवर्षीय व पंचवर्षीय योजना बनाकर, उन्हें प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए संकल्पित हैं।

8. गत पांच वर्ष के शासन की यदि हम समीक्षा करते हैं, तो इस दौरान जनसाधारण को सिवाय घोर निराशा के कुछ भी हाथ नहीं लगा। राजस्थान का नौजवान बेराजगारी के कारण हताशा के वातावरण में रहा। राजस्थान का किसान बिजली की कमी, डीजल, खाद के दामों में बढ़ोतरी की वजह से अपने आपको ठगा सा महसूस करता रहा। बढ़ती हुई महंगाई के कारण आमजन का जीवनयापन कठिन हो गया तथा जर्जर कानून व्यवस्था के कारण जन साधारण भयाक्रान्त रहा। महिलाएं असुरक्षित रहीं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं नित्य प्रतिदिन घटती रहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) ने भी वर्ष 2012 की अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है।

9. केन्द्र सरकार के सांख्यिकी विभाग के सर्वेक्षण में न केवल विगत वर्षों में राजस्थान के विकास के दावों को खोखला और झूठा साबित किया है बल्कि एक भयावह तस्वीर भी प्रस्तुत की है। राजस्थान 20 बड़े राज्यों में विकास की दृष्टि से 16वें स्थान पर आ गया है, जबकि पूर्ववर्ती राज्य सरकार में 11वें स्थान पर था। गत 5 वर्षों में राज्य की जनता की बुनियादी आवश्यकता शिक्षा और स्वास्थ्य की पूरी तरह से अनदेखी हुई। जहाँ गत सरकार द्वारा बड़ी-बड़ी घोषणाएं की गईं, लेकिन क्रियान्विति के अभाव में उनका लाभ जनता को नहीं मिला। निर्धारित मानदण्डों के अनुसार शिशु मृत्यु दर व जन्म दर की दृष्टि से प्रदेश बीमारू श्रेणी में आ गया है। प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द्र काफी कम रहा, जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

माननीय सदस्यगण !

10. राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु राज्य में विनियोजन बढ़ाने एवं अन्य जन केन्द्रित योजनाओं का वित्त पोषण आवश्यक है। इसके लिए राज्य की वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य वर्ष 2003-04 से मजबूती से शुरू किया गया था। वर्ष 2003-04 में राजकोषीय घाटा, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 6.6 प्रतिशत था, उसे वर्ष 2007-08 में कम

करके 1.75 प्रतिशत तक लाया गया था। इसी प्रकार, वर्ष 2003-04 में राज्य का राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से ज्यादा था। इस राजस्व घाटे को लगातार नियंत्रित करते हुए राज्य के इतिहास में कई वर्षों बाद वर्ष 2006-07 में राजस्व आधिक्य में परिवर्तित किया गया। यह बेहतर कर वसूली एवं व्यय नियंत्रण के प्रभावी कार्य से संभव हुआ है। वर्ष 2005-06 में स्वयं के कर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सर्वाधिक 6.95 प्रतिशत हासिल किया गया। परन्तु दुःख की बात है कि 2008-09 के बाद यह अनुपात बढ़ने लगा और वर्ष 2010-11 में यह 6 प्रतिशत ही रह गया था। राज्य का राजकोषीय घाटा भी वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में 3 प्रतिशत से अधिक हो गया था।

11. वर्तमान वित्तीय वर्ष में गत राज्य सरकार ने व्यय का indiscriminate विस्तार किया। व्यय भी ऐसी कई योजनाओं पर किया गया, जिनकी उपयोगिता संदेहास्पद है। कई योजनाएं ऐसी हैं, जो आने वाले वर्षों में भी राज्य की वित्तीय स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालेंगी। इसके अलावा, अनेक व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं यथा टेबलेट वितरण, साईकिल वितरण, साड़ी वितरण के स्थान पर जल्दबाजी में नकद राशि दे दी गई।

परिणामस्वरूप, योजनागत राशि का उपयोग वांछित वस्तुओं के क्रय पर किया गया, सुनिश्चित नहीं हो सका और वांछित उद्देश्य भी पूरा नहीं हो सका।

12. गत सरकार द्वारा ऐसी कई बड़ी योजनाओं हेतु अविवेकपूर्ण वादे किए गए हैं, जिनके कारण दीर्घावधि में भी राज्य के वित्तीय प्रबन्धन पर भारी दबाव पड़ेगा। रिफाइनरी स्थापित करने के लिए 15 वर्ष तक के लिए प्रति वर्ष 3,736 (तीन हजार सात सौ छत्तीस) करोड़ वार्षिक के ब्याज मुक्त ऋण का वादा किया गया है। वह भी 4.5 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष घरेलू क्रूड ऑयल के साथ जुड़ा हुआ है। यदि घरेलू क्रूड ऑयल का उत्खनन कम होगा तब यह राशि लगभग आनुपातिक मात्रा में बढ़ेगी। भारत में सम्भवतः यह पहली रिफाइनरी परियोजना है, जिसमें गत सरकार ने इस तरह भारी नकद सहायता देने का निर्णय लिया। केवल 11 किलोमीटर लम्बी मेट्रो रेल के निर्माण हेतु 3400 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। राज्य सरकार इन योजनाओं की उपादेयता व स्वरूप का पुनरावलोकन कर रही है।
13. वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभिन्न कार्यों के लिए 14 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त अधिकृतियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें बजट अनुमानों में अभी तक सम्मिलित नहीं

किया गया। यदि यह समस्त राशि उपलब्ध करा दी जाती है तब वर्तमान वर्ष का राजस्व आधिक्य अनुमानित एक हजार छब्बीस करोड़ रूपये के स्थान पर सात हजार करोड़ से भी ज्यादा के राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाएगा। साथ ही, राजकोषीय घाटा 13 हजार 20 करोड़ से बढ़कर 28 हजार करोड़ रूपये से अधिक हो जाएगा, जो कि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत से अधिक होगा।

14. राज्य के कतिपय सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले राजकीय उपक्रमों एवं प्राधिकरणों की वित्तीय स्थिति से भी समझौता किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में लघु अवधि के वित्तीय दायित्व गत 5 वर्षों में 15 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर इस वर्ष 61 हजार करोड़ रूपये से ज्यादा हो जाएगा। विद्युत क्रय एवं इसकी आपूर्ति से होने वाली वसूली के अन्तर के कारण इन कम्पनियों को अब प्रतिवर्ष 10 हजार करोड़ रूपये से भी ज्यादा हानि हो रही है। जयपुर विकास प्राधिकरण की भी वित्तीय स्थिति आधिक्य से बदलकर घाटे की हो गई है। इस प्राधिकरण की आर्थिक कंगाली के कारण इस वर्ष व कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए ऋण की व्यवस्था करनी पड़ रही है। इसी प्रकार राजस्थान माइन्स एवं मिनरल्स लिमिटेड को भी ऐसी परियोजनाओं पर व्यय



के लिए बाध्य किया गया है, जिन्हें करना इस उपक्रम का दायित्व नहीं था।

15. राज्य सरकार के सामने राज्य की वित्तीय स्थिति को सही दिशा में लाने एवं राज्य में निवेश के लिए आवश्यक धनराशि अर्जित करने की भारी चुनौती है। वर्तमान सरकार के गत कार्यकाल में स्थाई पूँजीगत निर्माण का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात जो कि वर्ष 2003-04 में 17 प्रतिशत था, जो बढ़कर 2007-08 में 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गया था। परन्तु तत्पश्चात् गत चार-पांच वर्षों में इस विनियोजन में ठहराव आ गया। राज्य सरकार अब यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश तेजी से बढ़े। इस हेतु राज्य सरकार राज्य में अभिनव एवं उत्पादक निवेश को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों, योजनाओं एवं व्यूहरचना को लागू करेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य होगा कि राज्य की विकास दर को 12 प्रतिशत तक बढ़ाकर राज्य को विकसित राज्यों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर सके।
16. राज्य सरकार ने एक ओर जहां विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त होते हुए भी राज्य के बेरोजगारों को नौकरी में आई रूकावट दूर करने के प्रयास प्रारम्भ किए हैं, वहीं लम्बे समय से लम्बित प्रकरणों में नियमितकरण के लिए आवश्यक कदम उठाने भी प्रारम्भ कर दिए हैं।

माननीय सदस्यगण !

17. राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु विद्युत भी एक आधारभूत आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 12,993 मेगावॉट है, जिसमें से राज्य क्षेत्र में केवल 4,207 मेगावॉट ही है। राज्य सरकार ने राज्य में विद्युत उत्पादन, वितरण एवं आपूर्ति में सुधार हेतु प्राथमिकता देना निश्चित किया है। विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु वर्तमान में उत्पादन कर रही इकाइयों की कार्यक्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा 50 मेगावाट रामगढ़ स्टीम टरबाइन जनरेटर से विद्युत उत्पादन अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जाएगा। किसानों के लिए साढ़े 6 घण्टे दिन में व 7 घण्टे रात्रि के साप्ताहिक बदलते हुए ब्लॉक में विद्युत आपूर्ति एवं गाँवों में 24 घण्टे गुणवत्ता के साथ घरेलू सिंगल फेज बिजली आपूर्ति किया जाना सरकार की प्राथमिकता रहेगी।
18. आगामी वर्ष में राज्य में विद्युत की माँग व उपलब्धता के अंतर को कम करने के लिए राज्य क्षेत्र की 1700 मेगावॉट की परियोजनाओं का समयबद्ध कार्य पूर्ण कर विद्युत उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा। प्रसारण तंत्र में आवश्यक संवर्धन (Augmentation) किया जाएगा तथा वितरण तंत्र को भी सुदृढ़ कर विद्युत आपूर्ति में आ रहे व्यवधानों को कम किया जाएगा।

19. गत वर्षों में किसानों से नियम विरुद्ध वसूल की गई राशि आगामी बिलों में समायोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। बिजली कम्पनियों की वित्तीय स्थिति के सुधार हेतु गंभीर प्रयास किए जाएंगे। बिजली वितरण कम्पनियों में वितरण हानियों (T&D loss) का स्वतंत्र निकाय द्वारा अंकक्षण कराया जाएगा ताकि विद्युत छीजत कम करने के सार्थक प्रयास किए जा सकें।
20. साठ दिवसीय विभागीय कार्य योजना के अन्तर्गत 33 केवी के साठ नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे। 12 हजार कृषि कनेक्शन एवं मुख्यमंत्री सबके लिए विद्युत योजना के अंतर्गत 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में 20 हजार घरेलू कनेक्शन सहित राज्य में साठ हजार घरेलू कनेक्शन दिए जाएंगे। राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत धौलपुर तथा उदयपुर जिले की योजनाओं का कार्य पूरा किया जाएगा। अक्षय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 100 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना से उत्पादन प्रारम्भ किया जाएगा।
21. आगामी वर्ष में 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में घरेलू कनेक्शन देने व किसानों को कृषि कनेक्शन देने हेतु नई नीति बनायी जाएगी। 100 से अधिक आबादी वाली 10,575 ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 23,155 आंशिक विद्युतीकृत ढाणियों का सघन विद्युतीकरण करने

हेतु कार्य प्रारंभ किए जाएंगे ताकि शेष रहे 4 लाख 43 हजार बी.पी.एल. परिवारों को एवं 8 लाख 82 हजार ए.पी.एल. परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा सके।

22. जल संसाधन विभाग द्वारा नहरों पर सोलर पैनल लगाये जाकर पानी की क्षति को कम करने एवं सौर ऊर्जा का उत्पादन किये जाने की योजना बनाई जाएगी।
23. इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में सवा लाख हैक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र की चक स्कीम का अनुमोदन किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

24. राज्य के आधारभूत ढांचागत क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण स्तम्भ सड़क तन्त्र को विस्तारित, सुदृढ़ व विकसित कर राज्य सरकार राज्य को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का दृढ़ इरादा रखती है। वर्तमान में राज्य राजमार्गों व जिला सड़कों को चौड़ा व सुदृढ़ करने, मिसिंग लिंक सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण, सी.डी. कार्यों का निर्माण, आर.ओ.बी. का निर्माण व 250 से 500 तक की आबादी के शेष रहे गांवों को डामर की सड़कों से जोड़ने आदि का कार्य विभिन्न योजनाओं में करवाया जा रहा है।

25. सड़क विकास की दृष्टि से प्रदेश में विगत 5 वर्षों का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें, तो यह परिलक्षित होता है कि वर्ष 2003 से 2008 तक वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती कार्यकाल से कहीं बहुत पीछे है। जहां वर्ष 2003 से 2008 में 9904 गाँवों को सड़कों से जोड़ा गया वहीं वर्ष 2008 से 2013 के मध्य केवल 1538 गाँवों को जोड़ा गया।
26. राज्य की समस्त डामर सड़कों पर (नॉन पैचेवल सड़कों के अतिरिक्त) राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कों, अन्य जिला सड़कों एवं ग्रामीण सड़कों की पेचेबल लम्बाई जो कि 62 हजार 650 किलोमीटर है, का कार्य प्रगति पर है। इस पेचवर्क कार्य को 60 दिवस की योजना में पूर्ण कर लिया जाएगा। 180 (एक सौ अस्सी) करोड़ रुपये व्यय कर 400 किमी. (चार सौ किलोमीटर) लम्बाई में सड़कों पर सुदृढीकरण/नवीनीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस दौरान 250 नये गांव/ढाणी/मंजरों को डामर सड़क से जोड़ा जाएगा। 868 नये गाँवों को सड़कों से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 832 (आठ सौ बत्तीस) करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की जाएंगी। आर.एस. आर.डी.सी.सी., रिडकोर, आई.एल.एण्ड.एफ.एस., सी.आर. आर.आई. एवं प्रतिष्ठित कंसलटेन्ट की सलाह पर पूर्व-पश्चिम कोरीडोर परियोजना तैयार की जाएगी।

27. पंचायत समिति मुख्यालयों को सबसे बड़ी ग्राम पंचायत से जोड़ने हेतु "ग्रामीण गौरव पथ योजना" प्रारम्भ की जाएगी। प्रथम चरण में 10,000 (दस हजार) से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों को जोड़ने की डी.पी.आर. तैयार की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, विश्व बैंक एवं अन्य प्रतिष्ठित कंसलटेन्टों की सहायता से "राजस्थान सड़क सुरक्षा प्राधिकरण एक्ट" का प्रारूप तैयार किया जाएगा एवं राजस्थान में सड़कों के विस्तार के लिए पूर्वी-पश्चिमी गलियारे (East-West Corridor) को विकसित करने के लिए 60 दिवस में डी.पी.आर. तैयार की जाएगी।

माननीय सदस्यगण !

28. राज्य के नगरीय निकायों में स्वच्छ नगर अभियान प्रारंभ कर प्रभावी स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में अवस्थित उद्यानों का रख-रखाव एवं नलकूप आदि का संधारण साठ दिवसीय कार्य योजना में पूर्ण किया जाएगा। राज्य के समस्त नगरीय निकायों के मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। प्रशासन शहरों के संग अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 31 जनवरी, 2014 तक प्राप्त आवेदनों का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक निष्पादन किया जाएगा। साथ ही इस अभियान के दौरान दी गई शिथिलताएं, छूट और शक्तियों का

प्रत्यायोजन दिनांक 31 मार्च, 2014 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा इस अवधि में 1500 (पन्द्रह सौ) नये आवासों हेतु आवेदनों का रजिस्ट्रेशन करना, 4000 (चार हजार) आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जाएगा और 1500 (पन्द्रह सौ) नये आवासों का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। भिवाड़ी-नीमराणा सम्पर्क सड़क निर्माण हेतु रिडकोर के माध्यम से डी.पी.आर. तैयार करवाई जाएगी।

29. ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग द्वारा आजीविका कार्यक्रम के तहत 5000 (पांच हजार) नये स्वयं सहायता समूह का गठन/कॉ-ऑप्ट किया जाकर आर.एस.एल. डी.सी. (आरमोल) के सहयोग से 10,000 (दस हजार) बीपीएल ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। आवास विहीन ग्रामीण बीपीएल परिवारों को 30,000 (तीस हजार) आवास स्वीकृत किए जाएंगे। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में स्वीकृत 6.74 लाख ग्रामीण बीपीएल परिवारों के आवासों का अभियान के तौर पर निरीक्षण किया जाएगा, जिसके आधार पर पात्र लाभार्थियों को द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी की जाएगी। ग्रामीण जनभागीदारी विकास योजना के तहत कब्रिस्तान/श्मशान की चार दीवारी निर्माण हेतु 20 (बीस) करोड़ रुपये की राशि के कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। समस्त जिलों में सूचना प्रौद्योगिकी के

इन्टीग्रेटेड वर्क्स मॉनिटरिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को लागू किया जाएगा।

30. निर्मल भारत अभियान के तहत 50,000 (पचास हजार) व्यक्तिगत (एपीएल एवं बीपीएल) परिवारों के लिए शौचालय निर्माण, एक हजार आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण का कार्य करवाया जाएगा। वर्ष 2013-14 में दो सौ पचास गांवों को निर्मल ग्राम (खुले शौच से मुक्त) बनाया जाएगा। एक हजार विद्यालयों में निर्मित शौचालयों को सफाई व्यवस्था हेतु नल की सुविधा (PHED) के द्वारा NRDWP के प्रावधान के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। स्कूल शौचालयों के नियमित रख-रखाव हेतु पांच हजार रुपये प्रति स्कूल प्रतिवर्ष जारी करने हेतु मार्गदर्शिका जारी की जाएगी।
31. पंचायतीराज संस्थाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत सभी 9,177 सरपंचों एवं 1,05,257 वार्ड पंचों हेतु माह जनवरी एवं फरवरी, 2014 में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही 283 नए पंचायत भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। मिड-डे मील कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दो सौ विद्यालयों में किचन शेड का निर्माण, एक हजार स्कूलों में बर्तन एवं केन्द्रीकृत रसोई में तैयार भोजन की गुणवत्ता की जांच



सुनिश्चित की जाएगी। एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत दो सौ वाटरशेड कमेटियों का गठन एवं तीन हजार जल संरक्षण ढांचों का निर्माण करवाया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

32. प्रदेश में कृषि कार्यों में सुगमता एवं कार्यक्षमता में वृद्धि के लिए कृषकों को 10,000 (दस हजार) कृषि यंत्रों तथा पौध संरक्षण उपकरणों का अनुदान पर वितरण किया जाएगा। प्याज उत्पादक कृषकों को सात सौ वैज्ञानिक प्याज भण्डार गृह निर्माण के लिए 20,000 (बीस हजार) रुपये प्रति भण्डार गृह की दर से अतिरिक्त अनुदान राशि के रूप में एक करोड़ 40 लाख रुपये की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी। कृषि में विभिन्न नवाचारों से रूबरू कराने के लिए एक हजार प्रगतिशील कृषकों को विभिन्न राज्यों एवं संस्थाओं का भ्रमण कराया जाएगा। फसलोत्तर प्रबंधन एवं उत्पादन से विपणन तक के संबंध में केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी देने हेतु राज्य के विभिन्न मण्डी प्रांगणों में एक हजार कृषकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। रबी फसलों के लिए आगामी दो माह में चार लाख मैट्रिक टन यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। मृदा सुधार एवं पोषक तत्व के रूप में जिप्सम के उपयोग को बढ़ावा देने की दृष्टि से 25 हजार

मैट्रिक टन जिप्सम का अग्रिम भण्डारण किया जाएगा। राज्य में 800 (आठ सौ) डिगियों, एक हजार सात सौ फार्म पोण्ड तथा एक सौ पचास जलहौज का निर्माण कराया जाएगा।

33. प्रदेश में कृषि विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य की प्रमुख 10 मण्डियों में जहाँ सरसों बहुतायत में आती है, वहाँ आधुनिक ऑयल टेस्टिंग लैब की स्थापना की जाएगी। आपणी रसोई योजना, जो वर्तमान में विशिष्ट एवं 'अ' श्रेणी की 43 (तैंयालीस) मण्डियों में संचालित है, का विस्तार कर किसान कलेवा योजना के रूप में अतिरिक्त रूप से 'बी' श्रेणी की 17 मण्डियों में भी संचालित की जाएगी। जयपुर की मुहाना सब्जी मण्डी में पुष्प मण्डी प्रांगण की स्थापना की जाएगी। पशुधन को हरे चारे की उपलब्धता हेतु कृषकों को चार लाख चारा मिनिकिट वितरित किए जाएंगे। 30,000 (तीस हजार) नये कृषकों को कृषक पोर्टल के माध्यम से मोबाइल एस.एम.एस. सेवा से जोडा जाएगा।
34. उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1.00 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस (25 हजार वर्ग मीटर में ग्रीन हाउस एवं 75 हजार वर्ग मीटर में शेडनेट हाउस) के साथ सब्जियों एवं फूलों की खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। प्लास्टिक टनल्स के

द्वारा 15 लाख वर्ग मीटर भूमि को संरक्षित करने के लिए नई तकनीकी की व्यवस्था की जाएगी। खुले क्षेत्र में सब्जियों के उच्च तकनीक वाणिज्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु 1000 हैक्टेयर क्षेत्र में "प्लास्टिक मल्व" आधारित सब्जियों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। पश्चिमी जिलों में 50 हैक्टेयर क्षेत्र में खजूर के टिशू कल्चर उत्पादित पौधों के बगीचे विकसित किए जाएंगे।

35. बागवानी में सिंचाई जल के कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 7 हजार 500 हैक्टेयर क्षेत्र में बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र की स्थापना कराई जाएगी। 10 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में फव्वारा सिंचाई संयंत्र की स्थापना कराई जाएगी। सब्जियों की उच्च तकनीक वाणिज्य कृषि को प्रोत्साहित करने हेतु 2 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों की संकर किस्मों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य में पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने हेतु कृषक समूह के यहां 100 सामुदायिक जल स्रोत निर्माण के लिए स्वीकृतियां दी जाएगी। बागवानी में बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के साथ जल विलयक उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु एक हजार हैक्टेयर क्षेत्र में अनुदानित दर पर फर्टिगेशन का कार्य करवाया जाएगा। राजहंस नर्सरी देवड़ावास, टोंक में 2 हैक्टेयर क्षेत्र में जैतून का

पौध रोपण किया जाएगा। मधुमक्खी पालन के तहत 2 हजार 500 बी-कॉलोनी एवं 2 हजार 500 मधु बॉक्स कृषकों व मधुमक्खी पालकों को उपलब्ध करवाए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण !

36. ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार नवाचारों के साथ अभिनव पहल करेगी। राज्य में रबी के लिए काश्तकारों को एक हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन सहकारी फसली ऋण वितरित किए जाएंगे। 2 हजार 500 महिला स्वयं सहायता समूहों को कड़ी बन्धित करते हुए 15 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। दो सौ पचास नए मिनी बैंक शुरू किए जाएंगे। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की छत्तीस शाखाओं को कम्प्यूटरीकृत कर ऑनलाइन किया जाएगा। भूमि विकास बैंकों के माध्यम से दो हजार काश्तकारों को चालीस करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण जारी किए जाएंगे। दिनांक 31.12.2013 तक भूमि विकास बैंकों के संपूर्ण ऋण का भुगतान कर चुके ऋणी सदस्यों को भूमि रहन मुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे। उपभोक्ता संघ व जिला उपभोक्ता भण्डारों द्वारा प्रदेश में सात महिला उपहार सुपर स्टोर शुरू किए

जाएंगे। सहकारी समितियों के माध्यम से एक लाख मैट्रिक टन यूरिया व 10 हजार मैट्रिक टन डीएपी की आपूर्ति की जाएगी।

37. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पशु पालन का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य सरकार पशुओं और पशुपालकों के उत्थान के लिए नई दृष्टि के साथ नई दिशा देने का संकल्प रखती है। विभाग की साठ दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत पशुधन आरोग्य महाअभियान चलाया जाएगा, जिसमें 25 से 30 लाख पशुओं के स्वास्थ्य रक्षा के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। 25 जनवरी 2014 को एक ही दिन में 5 हजार पशु चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर 10 लाख से अधिक पशुओं की चिकित्सा का लक्ष्य है। जयपुर के कालाडेरा में 150 मैट्रिक टन क्षमता का पशु आहार संयंत्र प्रारंभ किया जाएगा। पशुधन अनुसंधान केंद्र, कोडमदेसर (बीकानेर) में साहीवाल केटल ब्रीडिंग फार्म तथा चारागाह विकास एवं हरा चारा उत्पादन परियोजना शुरू की जाएगी। प्रदेश के एक हजार अक्रियाशील कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों को क्रियाशील कर, नस्ल सुधार कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाएगा। इस अवधि में एक हजार पशु चिकित्सा संस्थाओं, दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं ग्राम पंचायतों पर ट्रेविस (अरगडा) स्थापित किया जाएगा।

38. गोपालन मंत्रालय की स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी तथा पंचगव्य अनुसंधान हेतु आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर के साथ पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा एम.ओ.यू. संपादित किया जाएगा। 100 नवीन बल्क मिल्क चिलर्स की स्थापना कर 2 लाख लीटर दुग्ध अवशीतन क्षमता की वृद्धि की जाएगी। मानसरोवर, जयपुर में राज्य में पहली बार एडवांस्ड मिल्क टेस्टिंग लैब प्रारंभ की जाएगी। बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मुख्यालय पर 9 लाख पचास हजार लाख लीटर क्षमता के वर्षा जल संग्रहण तंत्र, टेक्नोलॉजी म्यूजियम, हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हराचारा उत्पादन करने वाली मशीन एवं एडवांस्ड फीड-फोडर टेस्टिंग लैब का लोकार्पण किया जाएगा। जामडोली, जयपुर में वेटेनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स शुरू किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

39. राज्य में नये जिले, उपखण्ड और तहसील बनाने हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के न्यायालय परिसरों में वकीलों के बार रूम एवं चैम्बर निर्माण हेतु भूमि का आवंटन किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक आवश्यकताओं के लिए भूमि आरक्षित करने के प्रावधान हेतु निर्देशित किया जाएगा। दो सौ बत्तीस भू-अभिलेख निरीक्षकों का प्रशिक्षण पूर्ण

होने के बाद, उनका पदस्थापन किया जाएगा। दो हजार दो सौ इकहत्तर पटवारी के पदों पर नियुक्ति दी जाकर प्रशिक्षण आरम्भ करवाया जाएगा।

40. राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों एवं संस्थानों को भू आवंटन के लम्बित प्रकरणों का 31 दिसम्बर 2013 तक निपटारे की व्यवस्था के निर्देश दिए जाएंगे। उपनिवेशन विभाग द्वारा 4 हजार हैक्टेयर भूमि का विशेष आवंटन मोहरबन्द नीलामी के अन्तर्गत किया जाएगा। उपनिवेशन विभाग द्वारा विकलांग सैनिक एवं युद्ध आश्रितों के बकाया समस्त प्रकरणों एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भूमि आवंटित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। कब्जा दिए जाने से वर्तमान में शेष सभी आवंटियों को भूमि का कब्जा दिया जाएगा। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समस्त पूर्व सैनिकों का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करवाया जाएगा। वीरांगनाओं को विशेष कार्ड जारी किए जाएंगे ताकि उन्हें सरकारी कार्यालयों में उचित सम्मान प्रदत्त किया जा सके।

माननीय सदस्यगण !

41. शुद्ध पेयजलापूर्ति वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की साठ दिवसीय कार्य योजनान्तर्गत प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में पीने के पानी से वंचित आबादी के 1100

मुख्य/अन्य हैबिटेडशन्स में शुद्ध पेयजलापूर्ति उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 350 बस्तियों को वृहद् परियोजनाओं से एवं शेष 750 बस्तियों को पेयजल की अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाना लक्षित है। इसके अतिरिक्त फ्लोराईड एवं क्षारीय क्षेत्रों की 300 गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में रिवर्स ऑस्मोसिस (आर.ओ.) प्लान्ट लगाना भी लक्षित है।

42. आगामी ग्रीष्म ऋतु में जनता को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु इसी कार्य योजना में 1500 हैण्डपम्प, साठ सिंगल फेज़, 350 थ्री फेज़ नलकूप लगाना भी लक्षित है। इस अवधि में राज्य में खराब हैण्डपम्पों का मय प्लेटफार्म मरम्मत कार्य, जलाशयों की सफाई, असम्बद्ध सी.डब्लू.आर.,एस.आर., जी.एल.आर. को कमीशन करना भी सम्मिलित है। शहरी क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के सुदृढीकरण हेतु वर्तमान में चल रहे 150 कार्यों को पूर्ण करने, पुरानी व जर्जर पाइप लाइनों को बदलने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति की 120 बस्तियों को भी इसी अवधि में शुद्ध पेयजल योजना से लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त विभाग के 50 खण्डीय भण्डारों का भौतिक सत्यापन भी किया जाना लक्षित है।

43. प्रदेश के गाँव-गाँव और ढाणी-ढाणी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराने के लिए चिकित्सा एवं



स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कर्मियों के रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिये चरणबद्ध तरीके से आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। स्वास्थ्य सूचकांकों को सुधारने के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की लम्बित सभी डीपीसी आगामी दो माह में आयोजित कर पदोन्नतियां की जाएंगी। समस्त चिकित्सा संस्थानों में सघन सफाई अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा। सभी मेडिकल एवं पैरामेडिकल स्टॉफ को कार्य स्थल पर निर्धारित यूनिफॉर्म पहनकर उपस्थित रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मरम्मत योग्य वाहन, मशीन एवं उपकरणों की मरम्मत कराकर उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त चिकित्सा संस्थानों पर जन सुविधा हेतु सूचना फलक/बोर्ड/साईनऐज लगवाए जाएंगे।

माननीय सदस्यगण !

44. समस्त चिकित्सा संस्थानों का गहन निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण कर आम नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ करवाने का प्रयास किया जाएगा। एम्बुलेंस सेवा 108 को तीव्र व प्रभावी बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यथाशीघ्र 100 जननी एक्सप्रेस को

चिकित्सा व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य हेतु भविष्य की योजना (विजन डॉक्यूमेन्ट) तैयार किया जाएगा। टीकाकरण से वंचित शिशुओं व बच्चों के लिए विशेष अभियान संचालित कर समस्त बच्चों का टीकाकरण किया जाएगा। प्रदेशभर में विशेष स्क्रीनिंग अभियान संचालित कर कुपोषित बच्चों को एमटीसी (मालन्यूट्रेशन ट्रीटमेन्ट सेन्टर) पर भिजवाकर, उन्हें कुपोषण से मुक्त कर स्वस्थ किया जाएगा। आपातकालीन सेवाओं में 24 घन्टे विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। ऑपरेशन थियेटर, गहन चिकित्सा इकाई व लेबर रूम को संक्रमण रहित बनाने एवं समुचित बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण हेतु विशेषज्ञ समिति बनाकर आवश्यक उपाय किए जाएंगे। सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के विस्तार एवं रोगीभार कम करने के लिए आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

45. राज्य में संचालित आयुष औषधालयों व चिकित्सालयों का भौतिक सत्यापन करवाए जाने के साथ औषधियों की उपलब्धता, साफ सफाई व्यवस्था एवं सूचना पट्ट व निर्देशिका लगाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। ग्रामीण आयुर्वेद चिकित्सकों के 378 पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। होम्योपैथिक एवं यूनानी

निदेशालय तथा जयपुर स्थित आयुष के अन्य कार्यालयों को नवनिर्मित आयुष भवन में स्थानान्तरित किया जाएगा। आंचल प्रसूता केन्द्रों को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। आमजन को आयुर्वेद से सम्बन्धित जरूरी बातें विशेषकर घरेलू उपचार, जड़ी बूटियां और जीवनचर्या सम्बन्धी अधिकृत जानकारी विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आयुष चिकित्सा पद्धतियों से सम्बन्धित सूचना, शिक्षा एवं प्रसार हेतु जयपुर में आरोग्य मेले का आयोजन किया जाएगा।

46. शिक्षा व्यक्तित्व के विकास के लिए परम आवश्यक है। शिक्षा का विकास सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रदेश में शिक्षा की स्थिति को सुधारने और विशेष रूप से बालिकाओं के विद्यालयों में नामांकन और ठहराव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विगत 5 वर्षों में प्रदेश में शैक्षिक अराजकता का माहौल बन गया था। नई सरकार प्रदेश में श्रेष्ठ शैक्षणिक वातावरण बनाने के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। वर्तमान में शिक्षकों के हजारों पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरने के लिए गत सरकार ने केवल थोथी घोषणाएं की और जानबूझकर वैधानिक खामियां छोड़ दी और इन पदों को नहीं भरा। नई सरकार समस्त वैधानिक कार्रवाई कर पारदर्शिता के साथ इन पदों को यथाशीघ्र भरेगी।

माननीय सदस्यगण !

47. प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों के प्रथम कक्षा में शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नियम बनाए जाएंगे। प्रदेश के लगभग ढाई लाख विद्यार्थियों की फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। निजी विद्यालयों की फीस संबंधी मनमानी रोकने के लिए एक प्राधिकृत नियामक बोर्ड गठित करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में सफाई अभियान संचालित किया जाएगा। इसके लिए 11 हजार 781 सीनियर व सैकेण्डरी विद्यालयों को 5 हजार रुपये प्रति विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। प्रदेश के विद्यालयों में वर्ष 2013-14 तक छात्रवृत्ति का वितरण आगामी साठ दिन में कर दिया जाएगा।
48. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। संभागीय मुख्यालयों पर स्थित संस्कृत महाविद्यालयों में ज्योतिष और वास्तु एवं कर्मकाण्ड के डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाएंगे। हमारी संस्कृति में वंशावलियों का विवरण अंकित करने की सृदीर्घ परम्पराएं रही हैं। वंशावलियों के संरक्षण के लिए वंशावली संरक्षण एवं संवर्द्धन अकादमी की स्थापना की जाएगी।

49. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार राजकीय शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों में उतरोत्तर वृद्धि के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार की ओर विशेष रूप से प्रयासरत रहेगी। उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु छात्रों एवं छात्राओं के साथ-साथ अध्यापन कर्मियों के सर्वांगीण हितों के संरक्षण हेतु नवीन गतिविधियां हाथ में ली जाएंगी। ई-कक्षाएं, स्मार्ट क्लास रूम्स, अंग्रेजी भाषा लैब, एवं पुस्तकालयों के कम्प्यूटराईजेशन जैसी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाएगा।
50. राज्य में आदिवासी क्षेत्र (सहरिया जाति) के उत्थान के लिए शाहबाद में एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा केलवाड़ा में एक पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जनजातिय क्षेत्रीय विकास के लिए उदयपुर में एक पॉलीटेक्निक महाविद्यालय स्थापित किया जा रहा है तथा बांसवाड़ा में एक अभियांत्रिकी महाविद्यालय संचालित है।

माननीय सदस्यगण !

51. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सम्बल ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत 100 सम्बल ग्रामों में 20 करोड़ रुपये की लागत के आधारभूत सुविधाओं के कार्य पूर्ण करवाए जाएंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभागीय एवं देवनारायण योजनान्तर्गत निर्माणाधीन

छात्रावासों का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया जाएगा। आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों के लिए किराए के उपयुक्त भवन का चयन कर स्वीकृति जारी की जाएगी। वर्ष 2013-14 में छात्रावासों में आवश्यकतानुसार सामान यथा पलंग, गद्दे, चद्दर, कम्बल आदि की आपूर्ति की जाएगी। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के पात्र आवेदकों की छात्रवृत्ति स्वीकृत कर, छात्रवृत्ति राशि उनके बैंक खातों के माध्यम से वितरित की जाएगी। सहयोग योजना एवं विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह योजनान्तर्गत 31 दिसम्बर, 2013 तक प्राप्त 1741 आवेदन पत्रों में से सभी पात्र आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा।

52. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत 500 विशेष योग्यजनों को ऋण एवं अनुदान स्वीकृत करवा कर लाभान्वित किया जाएगा। विभाग द्वारा पूर्व में चिन्हित विशेष योग्यजनों में से शेष रहे पात्र विशेष योग्यजनों को कृत्रिम सहायता उपकरण दिए जाने हेतु विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। पालनहार योजनान्तर्गत लम्बित 10 हजार 322 आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा। राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम द्वारा 7000 अनुसूचित जाति एवं

1500 अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा एवं पात्र आवेदकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा।

53. अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रमों में शिक्षा के प्रसार, कौशल विकास व स्वरोजगार के कार्यों को महत्व दिया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु आर्थिक सहायता योजना के तहत लम्बित सभी प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति जारी की जाएगी। अल्पसंख्यक 21 (इक्कीस) आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के स्थानों की पुनर्समीक्षा कर जिलेवार स्थान तय किये जाएंगे। आर.एम.एफ.डी.सी. द्वारा 500 (पांच सौ) अल्पसंख्यक महिलाओं को रियायती ब्याज दर पर 50,000 (पचास हजार) रूपये तक का ऋण दिया जाएगा।
54. वक्फ बोर्ड द्वारा एक करोड़ रूपये की राशि से कब्रिस्तानों की चारदीवारी के मरम्मत कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। योग्य एवं पात्र विद्यार्थियों के सभी लम्बित प्रार्थना पत्रों पर छात्रवृत्तियों की स्वीकृती दी जाकर वितरित की जाएगी। राजकीय कार्यालयों, प्रतिष्ठानों के कब्जे में रही शेष 29 सम्पत्तियों का किराया निर्धारण करवाया जाएगा। मदरसों में यथासम्भव भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी। अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए 40 (चालीस) स्थानों पर छात्रावास संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भ किया जाएगा।

73 (तिहत्तर) छात्रावासों हेतु आवंटित स्थानों पर भवन निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। निर्माण उद्योग विकास निगम (CIDC) के माध्यम से 200 (दो सौ) युवाओं को 13 (तेरह) विद्यालयों में रोजगारपरक प्रशिक्षण तथा 1000 (एक हजार) अल्पसंख्यक युवाओं के लिए राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कम्प्यूटर कौशल प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

55. राज्य सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए कृतसंकल्प है। राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्राथमिकता व गुणवत्ता के आधार पर नवाचार लागू करेगी। एकल खिड़की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। दिल्ली मुम्बई औद्योगिक परियोजना जो कि राज्य के विकास हेतु एक महत्वपूर्ण परियोजना है, के शीघ्र एवं व्यवस्थित विकास के लिये राजस्थान स्पेशल रीजन एक्ट बनाया जाएगा। राज्य में स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों को दो सौ पचास औद्योगिक भूखण्ड आवंटित करने के साथ इन औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव हेतु साठ करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जयपुर जिले के मण्डा औद्योगिक क्षेत्र (द्वितीय चरण) उद्यमियों के लिए खोला जाएगा। उद्यमियों को रीको एवं राजस्थान वित्त निगम के



माध्यम से लगभग सौ करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

56. राज्य के दक्ष कामगारों के स्कील डवलपमेन्ट के लिए निगम द्वारा संचालित योजना के तहत सेन्टर ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, खुर्जा के सहयोग से राज्य में कौशल विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी एवं एक हजार युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उद्यमिता विकास के नए अवसर पैदा हो, इसके लिए नये उद्यमियों, प्रारंभिक कंपनियों व नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में आई.आई.एम. अहमदाबाद के सहयोग से इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित एवं विकसित किया जाएगा।
57. राज्य के आर्थिक व सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर उद्योगों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में रोजगार की वृहद संभावनाओं को विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। विभिन्न प्रशिक्षण एवं कार्य दक्षता विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पांच हजार व्यक्तियों को प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। चार हजार दस्तकारों को पहचान पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे। हाथकरघा विकास हेतु लगभग पांच करोड़ रूपये के हाथकरघा वस्त्रों का राजस्थान हाथकरघा विकास निगम एवं बुनकर संघ के

माध्यम से क्रय विक्रय किया जाएगा। इससे बुनकर एवं दस्तकार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त हाथकरघा में एक सौ नये डिजाइन प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किए जाएंगे। कतिन एवं बुनकरों को लाभान्वित करने हेतु लगभग पांच करोड़ रूपये का खादी वस्त्र खादी बोर्ड द्वारा खरीदा व बेचा जाएगा, साथ ही 5 नये खादी क्लस्टर्स बीकानेर, बाडमेर, उदयपुर में प्रारंभ किये जाएंगे।

माननीय सदस्यगण !

58. खनिज सम्पदा की दृष्टि से हमारा प्रदेश समृद्धशाली है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिज सम्पदा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस क्षेत्र में होने वाले निवेश प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही की दृष्टि से निदेशालय एवं जोन स्तर पर निवेश संवर्द्धन शाखाओं का गठन किया जाएगा। राजस्व छीजत को रोकने एवं राजस्व वृद्धि हेतु विशेष अभियान चलाए जाएंगे। अवैध खनन की रोकथाम के लिए एक माह का संयुक्त अभियान चलाया जाएगा। बजरी नीति का पुनरावलोकन किया जाएगा। जनजाति क्षेत्र में खनिज रियायतें, अनुदान देने के संबंध में नई नीति बनाई जाएगी। खनन को उद्योग का दर्जा देने के प्रस्ताव तैयार किए जाकर ग्रेनाईट संवर्द्धन योजना पर भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा।

59. एक्सप्लोरेशन एण्ड प्रोडक्शन गतिविधियों के अन्तर्गत गैस एवं तेल के कुओं की खुदाई का कार्य किया जाएगा, जिनमें से 2 कुओं पर 25 से 30 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। बाड़मेर-सांचोर बेसिन में भूमिगत कोयला गैसीकरण परियोजना के विकास कार्यक्रम हेतु गैस ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के साथ एम.ओ.यू. में वृद्धि की जाएगी। इण्डियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड के साथ शहरी गैस वितरण परियोजना विकसित करने हेतु एम.ओ.यू. किया जाएगा। आर.एस.एम.एम. लिमिटेड द्वारा पांच मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र तथा गवेषणीय छिद्रण हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।
60. श्रम एवं नियोजन विभाग द्वारा युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार हेतु आजीविका कौशल विकास परियोजना प्रारम्भ की जाएगी। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा यह कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जाएगा। राजस्थान स्किल डवलपमेंट इनिशिएटिव सोसाइटी को प्रभावी बनाया जाएगा। 43 रोजगार सहायता शिविरों का आयोजन किया जाएगा एवं सम्भागीय स्तर पर 7 निर्माण अकादमियों में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा। रोजगार संदेश को नये प्रारूप में प्रस्तुत करते हुए विस्तार किया जाएगा एवं रोजगार विभाग में मास्टर वेब पोर्टल तैयार

किया जाएगा। आईटीआई हेतु नये बुनियादी ढांचे एवं प्रशिक्षण क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

61. राज्य के पचास हजार से अधिक कामगारों को भवन एवं अन्य संनिर्माण कामगार कल्याण कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे एवं 10 हजार से अधिक योग्य लाभार्थियों को स्कीम का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वितीय चरण के अन्त तक एक लाख नए सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। 15 हजार नए सदस्यों को राष्ट्रीय पेन्शन योजना 'स्वावलम्बन' से जोड़ा जाएगा एवं अधिक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक सदस्यों एवं अधिक से अधिक महिलाओं को स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।
62. कारखाना एवं बायलर्स विभाग में ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट के द्वारा कारखानों एवं बायलरों का पंजीकरण एवं नवीनीकरण को ऑन-लाईन करने के प्रोजेक्ट प्रारंभ किए जाएंगे एवं बायलर अटेन्डेन्ट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कर्मचारी राज्य बीमा योजना का नए क्षेत्र में विस्तार किया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

63. राज्य में प्रस्तावित एक सौ दस लाख रूपये के व्यय से भू-उपग्रह छाया चित्रों पर आधारित भूमि उपयोग एवं

भूमि वर्गीकरण का मानचित्रीकरण किया जाएगा। भू-उपग्रह छाया चित्रों के माध्यम से पूर्वी राजस्थान एवं अरावली क्षेत्रों के भू-आकृति एवं लीनियामेन्ट का मानचित्रीकरण का कार्य किया जाएगा, जिस पर 42 लाख 36 हजार रुपये का व्यय होना अनुमानित है। 11 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को बाईस लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। चालीस लाख रुपये की लागत से समुदाय द्वारा प्रबंधित 20 रिवर्स ऑस्मोसिस (आर.ओ.) संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। नवलगढ़-झुंझुनूं में विज्ञान उद्यान का लोकार्पण करवाया जाएगा। जैव-प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा जैव-प्रौद्योगिकी के अग्रणी अनुसंधान केन्द्र के प्रथम चरण का "विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन" बनाया जाएगा, जिस पर पच्चीस लाख रुपये व्यय होंगे। राज्य में पचपन लाख रुपये के अनुमानित व्यय से विज्ञान क्लबों का सुदृढीकरण किया जाएगा। दो सौ विद्यार्थी परियोजनाओं के लिए तीस लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का कार्यक्रम है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) प्रकोष्ठों का सुदृढीकरण किया जाएगा।

64. सूचना प्रौद्योगिकी में निरंतर हो रहे बदलाव एवं विश्व स्तरीय वृहत् विकास के चलते "सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा नीति-2007" असामयिक हो गई है, इसलिए नवीन सूचना प्रौद्योगिकी

नीति पर कार्य आरंभ किया जाएगा। संवेदनशील सूचना की सुरक्षा के लिए राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति पर कार्य आरंभ किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नागरिकों को उपलब्ध करवायी जाने वाली सेवाओं में बढ़ोतरी की जाएगी। तीन सौ नये ई-मित्र कियोस्क खोले जाएंगे। 250 सरकारी कार्यालयों को आपस में सूचना तंत्र के माध्यम से जोड़ा जाएगा। सचिवालय में वाई-फाई हॉट स्पॉट की स्थापना की जाएगी।

65. वर्तमान सरकार की घोषणाओं, उद्देश्यों, जनकल्याण कार्यक्रमों तथा सरकारी विभागों हेतु दिशा निर्देशों के अनुरूप मुख्यमंत्री कार्यालय की वेबसाईट का नवीनीकरण किया जाएगा। "आधार" पंजीकरण की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। तीन हजार कर्मचारियों और अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से क्रियाशील ई-प्रोक्योरमेंट तंत्र का विकास करते हुये, इसके माध्यम से सरकारी भुगतान प्रक्रिया को भी कम्प्यूटरीकृत कर ई-भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी।

माननीय सदस्यगण !

66. राज्य सरकार प्रदेश में खेलों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे युवाओं को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखने के लिए खेल और खेल मैदानों पर सुविधाओं का

विकास किया जाना अतिआवश्यक है। सरकार इस दिशा में अभिनव पहल कर खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं मुहैया कराकर उनके कौशल का विकास करेगी। विभिन्न अन्तरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को अनुदान वितरण करने के लिए मेगा शिविर आयोजित किया जाएगा। राज्य स्तर पर महाराणा प्रताप पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। खिलाड़ियों को देय विभिन्न सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि वे इनका अधिकतम लाभ उठा सकें।

67. राजस्थान युवा बोर्ड कार्यालय प्रारंभ कर जिला स्तरीय युवा महोत्सव एवं रोजगार सहायता शिविर आयोजित किए जाएंगे। राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद के सौजन्य से विभिन्न खेलों की राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्द्धा आयोजित की जाएगी। वर्ष 2013-14 में आयोजित होने वाली प्रमुख खेलों की राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। खेल विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं का कार्यालय प्रारंभ किया जाएगा। प्रदेश के 65 साल से अधिक आयु के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। खेल प्रशिक्षकों को गुरु वशिष्ठ पुरस्कार का वितरण किया जाएगा।
68. राज्य के 4 स्मारकों टाडगढ़-अजमेर, बान्दीकुई-दौसा स्थित चर्च, नाहरगढ़ किला व चान्दपोल परकोटा,

जयपुर में संरक्षण एवं जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जाएगा। जयपुर स्थित आमेर तथा विद्याधर बाग के विद्युतीकरण का कार्य करवाया जाएगा। सिरोही के पुरास्थल चन्द्रावती में उत्खनन का कार्य किया जाएगा। झालावाड़ चित्रांकन शैली के सर्वे एवं प्रलेखन का कार्य भी किया जाएगा। पुरातत्व विभाग द्वारा अजमेर के अकबर किले में अंग्रेजी भाषा में लाईट एवं साउण्ड शो प्रारम्भ किया जाएगा। सात दुर्लभ पुस्तकों को कम्प्यूटरीकृत करवाया जाएगा।

69. जयपुर स्थित उच्च न्यायालय पीठ परिसर में निर्माणाधीन पार्किंग एवं अधिवक्ता चैम्बर्स के साथ ही मेट्रोपॉलिटन न्यायालय भवन, जयपुर में बेसमेन्ट पार्किंग एवं मल्टीलेवल न्यायालय कक्षों के निर्माण को जल्द पूरा करवाया जाएगा। स्टेट लिटीगेशन पॉलिसी के तहत बनाए गए एक्शन प्लान 2014 के जरिए अधिक से अधिक लंबित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। कनिष्ठ विधि अधिकारी के 150 पदों पर नियुक्ति हेतु शीघ्र परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी।

माननीय सदस्यगण !

70. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा राज्य में उपभोक्ता मामले विभाग स्थापित किया जाएगा। राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का



पुनर्गठन किया किया जाएगा। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग एवं जिला मंचों का सुदृढीकरण किया जाएगा। उपभोक्ता क्लबों को सक्रिय बनाया जाएगा।

71. राज्य में सभी श्रेणी के एक करोड़ 76 लाख 96 हजार 855 डिजिटलाईज्ड एवं कम्प्यूटरलाईज्ड राशन कार्ड वितरित कराए जाएंगे। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा कानून तथा प्रदेश में सस्ते दर पर वितरित किये जा रहे गेहूँ से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, जिससे बी.पी.एल. परिवारों के अलावा अन्य पात्र परिवारों को 35 किलो गेहूँ तथा अन्य आवश्यक सामग्री रियायती दर अथवा निःशुल्क मिल सकेगी। उचित मूल्य की दुकानों की कार्यप्रणाली का परीक्षण किया जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े फेयर प्राइस शॉप होल्डर्स की समस्याओं की समीक्षा की जाएगी।
72. आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा उत्तराखण्ड आपदा में मृतक और स्थायी रूप से लापता 297 व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 10 करोड़ 50 लाख रूपये की धनराशि प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को वितरित कराई जाएगी। शेष व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र एवं उनके परिवारों के लिए सहायता धनराशि उत्तराखण्ड सरकार से प्राप्त कर प्रभावित परिवारों में वितरित करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रभावित परिवारों को 24 करोड़ 70 लाख रूपये

की धनराशि वितरित कराई जाएगी। राज्य आपदा प्रबन्धन नीति एवं योजना का राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से अनुमोदन कराया जाएगा। संवत् 2070 में खरीफ फसल खराबे के आधार पर राज्य के 17 जिलों के 10 हजार 225 गाँवों को अभावग्रस्त घोषित किया जाएगा एवं इन जिलों के प्रभावित कृषकों को कृषि आदान अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

73. वर्ष 2013 में अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों यथा बांध, नहरें, सड़क, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की पाईप लाइनें व सार्वजनिक सम्पत्तियों के पुनर्निर्माण हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप धनराशि का आवंटन किया जाएगा। अतिवृष्टि से प्रभावित 10 जिलों के व्यक्तियों को, जिनके मकान वर्षा से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उनको 4 करोड़ 79 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, इस राशि को पात्र व्यक्तियों में वितरित कराया जाएगा।

माननीय सदस्यगण !

74. प्रदेश में कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाए रखने के लिए समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि अपराधियों में भय व्याप्त हो और अपराधों पर अकुंश लगे। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए शिक्षण संस्थाओं में हो रही छेड़खानी व अन्य

वारदातों की रोकथाम के लिए उनके आसपास निगरानी हेतु सादा वर्दी में पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। जांच के लिए लंबित मामलों की संख्या में कमी लाने के लिए हर जिले में विशेष जांच टीमों के गठन के साथ समुदाय के समर्थन के लिए जिला मुख्यालय में प्रति लाख की आबादी पर कम से कम चार सामुदायिक पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। कट्टर एवं आदतन अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हेतु केस ऑफिसर स्कीम लागू करने, जिला मुख्यालय पर शिक्षण संस्थानों में महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करने, जयपुर एवं जोधपुर की यातायात व्यवस्थाओं को सक्षम एवं उत्साहजनक बनाने के लिए ट्रैफिक पोर्टल लांच करने के कार्यों के साथ अवैध खनन एवं लापता लोगों के पता लगाने के संबंध में विशेष अभियान चलाया जाएगा।

75. वर्ष 2013-14 के दौरान गृह रक्षा स्वयं सेवकों के 1347 रिक्त पदों के नामांकन की कार्रवाई फरवरी, 2014 तक की जाएगी। गृह रक्षा स्वयं सेवकों के लिए भारत सरकार के अनुरूप उपलब्ध बजट के अनुसार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाएगा। ग्रामीण सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से गृह रक्षा स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी।

76. कारागार विभाग द्वारा आईटीआई के माध्यम से जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर केन्द्रीय कारागारों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उदयपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर एवं बीकानेर में महिला सुधार गृहों के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के 268 प्रकरणों में विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं कार्मिक विभाग में लम्बित अभियोजनों की, जिनमें प्रमुखतः 198 प्रकरण जो तीन माह से अधिक समय से लम्बित हैं, की स्वीकृति हेतु विशेष प्रयास किए जाएंगे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला के अजमेर एवं बीकानेर कार्यालय हेतु विशेष विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी।

माननीय सदस्यगण !

77. परिवहन विभाग द्वारा साठ दिवसीय कार्ययोजना में प्रदेश के 25 परिवहन कार्यालयों पर ड्राईविंग लाईसेंस एवं वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जाएंगे। शाहपुरा-भीलवाड़ा, दूदू-जयपुर, केकड़ी-अजमेर के नवीन जिला परिवहन कार्यालय के साथ रेलमगरा, नावां, भवानीमण्डी तथा देवली के उप परिवहन कार्यालय प्रारम्भ किए जाएंगे। ग्रामीण परिवहन सेवा के 50 नवीन मार्गों को खोलने के साथ लगभग 500 ग्राम पंचायतों को पी.पी.पी. मोड़ पर परिवहन सेवा

से जोड़ने का कार्यक्रम है। वाहन एवं सारथी योजना को समस्त प्रादेशिक एवं जिला परिवहन कार्यालयों में लागू किया जाएगा। 100 नई बसों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के बेड़े में सम्मिलित किया जाएगा। निगम के सभी बस स्टेण्डों के परिसर एवं शौचालयों के रखरखाव, रंग-रोगन एवं प्रतिकालय के साथ-साथ यात्री सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत 1500 परिचालकों की भर्ती एवं नियुक्ति की जाएगी। अजमेर में निर्माणाधीन चालक प्रशिक्षण संस्थान का कार्य पूर्ण किया जाएगा। निगम की बसों में यात्रियों के लिए मोबाईल के जरिए आरक्षण की सुविधा प्रारंभ की जाएगी।

78. राज्य सरकार इस सत्र में राजस्थान सुनवाई का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।

माननीय सदस्यगण !

79. वर्तमान राज्य सरकार को प्रदेश की जनता से मिले भरपूर समर्थन, विश्वास और प्यार के आधार पर सुराज संकल्प को नई सोच और नई उम्मीद के साथ साकार करने का संकल्प लिया गया है। सुराज संकल्पना की मूल निष्ठा ऐसे सुशासन की स्थापना करना है, जिसमें हर वर्ग की आवाज सुनी जाए और शासन के सभी

स्तरों पर जन अभाव अभियोगों का समयबद्धता के साथ निराकरण हो। आम जनता के परिवारों के समग्र, प्रभावी एवं त्वरित समाधान के लिए राज्य स्तरीय 'राजस्थान सम्पर्क पोर्टल' प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। व्यक्ति की गरिमा को उच्चासन पर बिठाना ही लोकतंत्र का उद्देश्य है। लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार इस उद्देश्य की प्राप्ति को अपना सर्वोपरि कर्तव्य मानती है।

80. राज्य सरकार का लक्ष्य एक ऐसे नए राजस्थान का निर्माण करना है, जो पूर्ण रूप से सबल और स्वावलम्बी हो। खुशहाल और समृद्ध राजस्थान में सभी को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार मिले, निःशक्त और निर्बल वर्गों को सामाजिक सुरक्षा कवच मिले, महिलाओं को सुरक्षा के साथ सामाजिक और आर्थिक उत्थान के अवसर मिलें और युवा कौशल विकास से आत्मनिर्भर बनेंगे, तब ही हमारा सुराज संकल्प का सपना साकार होगा। इसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है।

माननीय सदस्यगण !

81. राजस्थान के इस सदन की शानदार परम्पराएं रही हैं। राजस्थान की जनता आप सभी की ओर आशा और विश्वास संजोए हुए है। मैं चाहूँगी की आप इस सदन में प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जन साधारण के

कल्याण से जुड़े बुनियादी मुद्दों पर गहन चिन्तन मनन के साथ परस्पर विचार विमर्श कर बिना मनभेद के महत्त्वदायी सुझाव देंगे, जिससे लोकहित की नीतियां और कार्यक्रम बनाने में मदद मिल सके।

मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति ऋग्वेद की निम्न ऋचा के माध्यम से करना चाहूँगी कि:—

*समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।  
समानमं मंत्रमभिमंत्रये वह समानेन वो हविषा जुहोमि॥*

अर्थात्—हमारी मंत्रणा में, समितियों, विचारों में और चिन्तन में समानता हो, सद्भावना हो, विषमता और दुर्भावना न हो

जय हिन्द!

---